अध्याय

5

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

वार्षिक रिपोर्ट 2017–18

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

कोल इंडिया लिमिटेड

कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) निजी कोयला खानों को सरकार के स्वामित्व में लेते हुए एक संगठित राज्य स्वामित्व वाले कोयला खनन कार्पोरेट के रूप में नवम्बर, 1957 में अस्तित्व में आया। हालांकि अपने शुरूआती वर्ष में इसने 79 मिलियन टन का कम उत्पादन दर्ज किया परन्तु आज विश्व में एक सबसे बड़ा कोयला उत्पादक बन गया है।

सीआईएल खान से बाजार तक सर्वोत्तम पद्धतियों के जरिए पर्यावरण की दृष्टि से और सामाजिक तौर पर सतत वृद्धि प्राप्त करते हुए प्रमुख ऊर्जा क्षेत्र में एक वैश्विक कंपनी के रूप में उभरने के लिए एक समग्र योजना के दायरे के भीतर कार्य करता है।

कोल इंडिया लि., धारक कंपनी जिसका मुख्यालय कोलकाता में हैं, के प्रमुख एक अध्यक्ष है। उनकी सहायता के लिए चार कार्यकारी निदेशक अर्थात निदेशक (तकनीकी), निदेशक (कार्मिक तथा औद्योगिक संबंध), निदेशक (वित्त) और निदेशक (विपणन) हैं। सीआईएल की प्रत्येक सहायक कंपनी का अपना निदेशक मंडल है जिसके प्रमुख अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक हैं। इसके अलावा, सात उत्पादन कंपनियों, सेंट्रल माईन प्लानिंग एंड डिजायन इंस्टीट्यूट लि. (सीएमपीडीआईएल) में प्रत्येक में 4 कार्यकारी निदेशक हैं। इसके अतिरिक्त, सीआईएल तथा उसकी सहायक कंपनियों के निदेशक बोर्ड में अंश–कालिक अथवा मनोनीत निदेशकों की नियुक्ति कंपनी के संगम अनुच्छेद तथा सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार की जाती है।

सीआईएल की रणनीतिक संबद्धता

- भारत के समग्र कोयला उत्पादन का लगभग 84% उत्पादन करती है
- भारत में जहां लगभग 55% प्रमुख वाणिज्यिक ऊर्जा आवश्यकता कोयले पर निर्भर है वहां सीआईएल अकेले 40% प्रमुख वाणिज्यिक ऊर्जा आवश्यकता पूरी करता है।
- लगभग 74% भारतीय कोयला बाजार को नियंत्रित करती है।
- भारत के 101 में से 98 कोयला आधारित थर्मल पावर संयंत्रों की पूर्ति करता है।
- उपयोगिता क्षेत्र के कुल 76% थर्मल पावर उत्पादन क्षमता के लिए जिम्मेदार है।
- अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में की गई कमी के आधार पर कोयले की आपूर्ति करता है।
- भारतीय कोयला उपभोक्ताओं को मूल्य के उतार–चढ़ाव को झेल पाने लायक बनाता है।
- अन्तिम उपयोगकर्त्ता उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाता है, आदि।

2016–17 में उपलब्धियां

- उत्पादन और उठान में वृद्धि को बनाए रखने के लिए सीआईएल ने लगातार दूसरे वर्ष के भौतिक पहलुओं में आधे अरब टन से अधिक का आंकड़ा पार किया है।
- कोयले का उत्पादन जो वर्ष 2012–13 में 452.21 मि.ट था, 5 वर्ष की अवधि में 100 मि.ट. से अधिक की बढ़ोतरी के साथ बढ़कर वर्ष 2016–17 की अवधि में 554.14 मि. टन के वर्तमान स्तर तक पहुँच गया है।
- वर्ष के दौरान विद्युत इकाईयों को कोयले का प्रेषण (विशेष ई–नीलामी सहित) 425.397 मि.टन था अर्थात पिछले वर्ष में 413.11 मि. टन प्रेषण की तुलना में 3% की वृद्धि दर्ज की गई।
- सीआईएल का सकल बिक्री कारोबार लगातार दूसरे वर्ष रू. 100000 करोड़ से अधिक है।
- 2016–17 के दौरान सीआईएल को आईएस/आईएसओ 9001:2015 (क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम) और आईएस/आईएसओ 50001:2011 (एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम) प्रमाणन मान्यता दी गई है।
- सीआईएल केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के राजकोष में सबसे अधिक योगदानकर्ताओं में से एक है। सीआईएल ने 2016.17 में भारत सरकार को कॉर्पोरेट कर के पूर्व में 8942.70 करोड़ रुपये का भुगतान किया है।

- कोयले के आयात में गिरावट आई जिसके परिणामस्वरूप पर्याप्त विदेशी मुद्रा बचत हुई थी।

सीआईएल में परिवर्तनकारी मानव संसाधन पहलः

➢ जनशक्ति

31.12.2017 की स्थिति के अनुसार सीआईएल तथा उसकी सहायक कंपनियों की कुल जनशक्ति 3,02,785 हैं। जनशक्ति की कंपनी–वार स्थिति निम्नलिखित हैः

कंपनी	2016–17 (31.12.2016 की स्थिति के अनुसार)	2017.18 (31.12.2017 की स्थिति के अनुसार)
ईसीएल	64801	62655
बीसीसीएल	51860	49581
सीसीएल	42725	41188
डब्ल्यूसीएल	47791	46245
एसईसीएल	62255	59688
एमसीएल	22258	22392
एनसीएल	15578	15107
एनईसी	1743	1577
सीएमपीडीआईएल	3562	3434
डीसीसी	391	378
सीआईएल (मुख्यालय)	865	918
कुल	313829	302785

➢ प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी

सामान्य तौर पर कर्मचारियों से संबंधित निर्णय कर्मचारियों और प्रबंधन का प्रतिनिधित्व करने वाले द्विपक्षीय मंचों के माध्यम से लिये जाते हैं। सभी परियोजनाओं में आवास समिति, कल्याण समिति, कैंटीन समिति आदि जैसे द्विपक्षीय मंच कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार, औद्योगिक संबंध प्रणाली के तहत कर्मचारियों की सेवा शर्तों और कल्याण से जुड़े मुद्दों का समाधान करने के लिए यूनिट स्तर, क्षेत्र स्तर और कार्पोरेट स्तर पर आवधिक रूप से द्विपक्षीय बैठकें की जाती हैं। प्रत्येक सहायक कंपनी के पास एक शीर्ष द्विपक्षीय समिति (संयुक्त परामर्शदात्री समिति) है और कंपनी के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक इसके अध्यक्ष होते हैं। संयुक्त परामर्शदात्री समिति सामरिक महत्व के विभिन्न मुद्दों और सामान्यतः कर्मचारियों के जीवन की गुणवत्ता से संबंधित मुद्दों पर विचार–विमर्श करती है। इन सभी द्विपक्षीय निकायों का प्रतिनिधित्व कर्मचारी के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है।

➢ ठेका कामगार

कंपनी निकटवर्ती ग्रामवासियों के लिए रोजगार का स्रोत है। विभिन्न आउटसोर्स कार्यों के लिए पंजीकृत ठेकेदारों के माध्यम से खानों में लगभग 1,12,931 ठेका कामगारों को नियोजित किया गया है। कंपनी ठेकेदार द्वारा ठेका कामगारों के वेतन और कल्याण से जुड़े सभी विधिक एवं कंपनी मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करती है। कोल इंडिया में खनन गतिविधियों में नियोजित ठेका कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित कर दी गई है जो न्यूनतम मजदूरी भुगतान अधिनियम के तहत न्यूनतम मजदूरी से अधिक है। उपरोक्त के अलावा, कंपनी ठेका कामगारों को कंपनी निःशुल्क चिकित्सा उपचार सुविधा प्रदान करती है। सभी ठेका कामगारों की चिकित्सा जांच की जाती है, उन्हें सुरक्षा प्रशिक्षण दिया जाता है और निजी बचाव संबंधी उपकरण दिए जाते हैं। कंपनी ने सभी ठेका कामगारों को सामाजिक सुरक्षा स्कीमों (सीएमपीएफ और सीएमपीएस) के तहत सफलतापूर्वक शामिल किया है। ठेका कामगारों को मजदूरी का भुगतान केवल बैंक के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है ताकि इस विषय में किसी प्रकार के शोषण से बचा सके।

संविदा श्रमिक (विनियमन एवं संशोधन) अधिनिमय, 1971 के अंतर्गत संविदा कामगारों के मजदूरी भुगतान एवं अन्य लाभों के अनुपालन की निगरानी करने हेतु कोल इंडिया लि. ने हाल ही में 'संविदा श्रमिक भुगतान प्रबंधन पोर्टल' का सृजन किया है। सीआईएल तथा इसकी सहायक कंपनियों में विभिन्न संविदाकारों द्वारा नियुक्त सभी कामगारों का व्यापक डाटाबेस "बैंक खाता संख्या एवं आधार संख्या" सहित तैयार किया है तथा पोर्टल पर अपलोड किया है। यह पोर्टल सभी संविदाकारों के कामगारों के लिए उपलब्ध है ताकि वे अपने व्यक्तिगत ब्यौरों सहित मजदूरी दर एवं भुगतान की स्थिति तथा यदि आवश्यक हो तो अपनी शिकायतें दर्ज कर सकें।

इसके अलावा, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 7 दिसंबर, 2015 की अपनी राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से सीआईएल की सहायक कंपनियों को श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रकाशित भारत के राजपत्र, भाग –2, खंड –3, उप–खण्ड (ii) में प्रकाशित दिनांक 21.06.1988 की एसओ 2063 के तहत क्रम सं. 1 से 3 पर निर्दिष्ट (निषिद्ध) कार्यो पर ठेकेदार श्रमिकों को नियोजित करने के लिए छूट दी गई।

➢ शिशु मजदूरी/मजदूरी/बलात मजदूरी/बंधुआ मजदूर

कंपनी के प्रचालनों की मूल श्रृंखला में स्वयं कंपनी द्वारा अथवा इसके स्टेकधारकों द्वारा किसी भी रूप में शिशु मजदूरों, बलात मजदूरों अथवा बंधुआ मजदूरों को नियुक्त करना वर्जित है। खानों में लगाए जाने वाले ठेका कामगारों की अनिवार्य रूप से आरंभिक चिकित्सा जांच के दौरान इसकी मानीटरिंग की जाती है।

➢ संघ की स्वतंत्रता

कंपनी के मानव संसाधन प्रबंधन में प्रजातांत्रिक मूल्यों का पक्के तौर पर पालन किया जाता है। कर्मचारियों को छूट है कि वे पंजीकृत ट्रेड यूनियन और अन्य सरकारी/गैर–सरकारी संगठनों के सदस्य बन सकते हैं। कोलफील्डों में सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और स्थानीय यूनियनों की शाखाएं हैं। औद्योगिक संबंध प्रणाली के मानकों के अंतर्गत कंपनी के द्विपक्षीय निकायों में उनके प्रतिनिधित्व की अनुमति है।

भेदभाव न करना

कंपनी कर्मचारी प्रबंधन में भेदभाव न करने के सिद्धांतों का अनुसरण करती है। धर्म, जाति, क्षेत्र, मत,लिंग, भाषा आदि के नाम पर कर्मचारियों में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। सभी कर्मचारियों को सेवा मामलों में समान अवसर दिए जाते हैं।

संगठनात्मक संस्कृति निर्माण पहल

संगठन में शामिल होने वाले सभी नए लोगो का प्रोजेक्ट अगामन के तहत स्वागत किया गया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कोल मैनेजमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स में इन्डक्शन प्रोग्राम के तहत कंपनी में कर्मचारी शामिल किया जाते हैं। अध्यक्ष, सीआईएल "स्वागत पत्र" के माध्यम से नये भर्ती हुए लोगों का गर्मजोशी से स्वागत करते है।

सभी सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारियों को विदाई दी जा रही है और उनके टर्मिनल बकाए का भुगतान प्रोजेक्ट सम्मान के तहत किया जाता है। अध्यक्ष, सीआईएल और सहायक कंपनियों के अध्यक्ष एव प्रबंधन निदेशक संगठन की सफलता के लिए कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के योगदान के प्रति आभार व्यक्त करते हैं।

जन विकास पहल

प्रतिभा की पहचान करने और कार्यपालकों का एक समूह, तैयार करने के लिए सीआईएल बोर्ड द्वारा एक प्रतिभा प्रबंधन नीति अनुमोदित की गई है, जिसमें से कंपनी के प्रत्येक और हर महत्वपूर्ण पद के उत्तराधिकारी का चयन किया जाएगा। पहचान किए गए प्रतिभा पूल से उत्तराधिकारी का चयन करने की प्रक्रिया में बाहर के विशेषज्ञों सहित प्रतिभा प्रबंधन समिति को शामिल किया जायेगा।

एक व्यापक शिक्षण और विकास नीति तैयार की गई है जो अनुमोदनाधीन है। इस मसौदे में कर्मचारियों के अनिवार्य प्रशिक्षण और 4 साल के एक प्रशिक्षण में कर्मचारियों के नियोजित विकास की परिकल्पना की गई है। प्रशिक्षण सुविधाओं को उचित प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे और प्रशिक्षण एड्स के साथ उन्नत किया जा रहा है।

सीआईएल मेन्टरशिप कार्यक्रम के माध्यम से, सभी फ्रेशर्स को काम के माहौल में चुनौतियों का सामना करने के लिए, अच्छी तरह प्रशिक्षित सलाहकारों के एक समूह द्वारा सलाह दी जा रही है।

कर्मचारियों के विभिन्न स्तरों के लिए कार्यात्मक कौशल प्रशिक्षण, कौशल विकास प्रशिक्षण, प्रबंधन विकास कार्यक्रम, नेतृत्व विकास कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इसी प्रकार, ठेका प्रबंधन, परियोजना प्रबंधन, पर्यावरण, वन और स्थिरता, उद्यम जोखिम प्रबंधन, वित्त, तनाव प्रबंधन आदि पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

सामाजिक सुरक्षा

सभी कर्मचारी कंपनी की सामाजिक सुरक्षा स्कीमों के अंतर्गत आते हैं, जो निम्नलिखित हैं:

i. उपदान

सेवा निवृत्ति पर कर्मचारी को 10 लाख रुपए तक के उपदान का भुगान किया जाता है। वेतन संशोधन, 2017 के तहत अधिनियम सीमा को 20 लाख रुपए तक बढ़ाया जाना है।

ii. सीएमपीएफ

सभी कर्मचारियों को कोयला खान भविष्य निधि के अंतर्गत शामिल किया गया है जो अंशदायी निधि है जिसमें कर्मचारी और कंपनी द्वारा बराबर–बराबर अंशदान किया जाता है।

iii. कोयला खान पेंशन स्कीम (सीएमपीएस)

कर्मचारियों को पेंशन योजना के तहत शामिल किया जाता है जिसके अंतर्गत उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरांत मूल वेतन की 25% राशि मासिक पेंशन के रूप में मिलती है। कर्मचारी की मृत्यु

हो जाने पर उनकी पति/पत्नी तथा बच्चे पेंशन प्राप्त करने के हकदार होते हैं।

iv. सेवा निवृत्ति के पश्चात चिकित्सा सहायता

सीआईएल ने अपने 3 लाख कर्मचारियों तथा उनकी पति/पत्नी को सेवा निवृत्ति के बाद उन्हें महत्वपूर्ण चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए सेवा निवृत्ति के बाद चिकित्सा सुविधा को शामिल किया है। कुछ शर्तों के अधीन इस स्कीम के अंतर्गत इनडोर तथा आउटडोर इलाज के लिए सामान्य मामलों में 5 लाख रुपए (गैर कार्यपालको हेतु) तथा हृदय रोग, कैंसर, गुर्दे की बीमारी तथा पक्षाघात जैसी नाजुक बिमारियों के मामलों में संवर्धित सहायता करने के लिए और कार्यपालको के लिए 25 लाख रुपए तक की अधिकतम सीमा के मामले में चिकित्सा खर्चो के पुनर्भुगतान की व्यवस्था है।

सीआईएल ने अब सभी कर्मचारियों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों, पूर्व कर्मचारियों और उनके पति या पत्नी को अस्पताल में भर्ती, बाह्य रोगी उपचार और अन्य निदान परीक्षणों को कवर करने के लिए एक स्वास्थ्य देखभाल बीमा योजना शुरू करने की योजना बनाई है। प्रस्तावित प्रणाली, प्रमाणीकरण और आधार विवरण को जोड़ने के उद्देश्यों के लिए बायोमेट्रिक डेटा के साथ स्मार्ट कार्ड के माध्यम से कैशलैश उपचार सुनिश्चित करेगी।

v. अधिवार्षिता पेंशन योजना

सीआईएल ने सभी बोर्ड स्तर और बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यकारी अधिकारियों को सेवानिवृत्ति के बाद वार्षिकी रूप में अधिवार्षिता लाभ देने के लिए एक अधिवार्षिता पेंशन योजना तैयार की है। इसे 01.01.2007 से पूर्वव्यापी प्रभाव से कार्यान्वित किया जाना है।

vi. कर्मचारी मुआवजा:

ड्यूटी के दौरान मृत्यु/विकलांगता की स्थिति में कर्मचारी मुआवजा अधिनियम के तहत मौद्रिक क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के हकदार हैं। इसके अलावा, कम्पनी अतिरिक्त मुआवजा रूप में 5 लाख रुपए तथा अनुग्रह राशि के रूप में 90,000 रुपए का प्रदान करती है।

vii. जीवन बीमा योजना:

सेवा के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाने की स्थिति में कर्मचारी के आश्रित जीवन बीमा योजना के तहत 1,25,000,00 रुपए की राशि प्राप्त करने के हकदार होते हैं।

viii. आश्रित सदस्य को रोजगार

किसी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु होने/विकलांग होने की स्थिति में उसके आश्रितों में से कोई एक सदस्य कम्पनी में स्थायी नौकरी पाने का हकदार है।

शिकायत प्रबंधन

कम्पनी में स्टेकधारकों अर्थात कर्मचारियों, उपभोक्ताओं तथा अन्यों की शिकायतों के निपटान के लिए एक मजबूत आन–लाइन स्टेकधारक शिकायत प्रबंधन प्रणाली मौजूद है। इस नीति के अंतर्गत सभी शिकायतों को 10 दिनों के भीतर निपटाया जाता है तथा स्टेकधारकों को तदुनसार सूचित किया जाता है। 31.12.17 की स्थिति के अनुसार सीआईएल के सेबी स्कोर्स और पी.जी. पोर्टल पर कोई शिकायत लम्बित नहीं है।

सीआईएल की पुनर्स्थापन और पुनर्वास नीति

कोल इंडिया की पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति पहली बार 1994 में तैयार की गई थी और इसे समय.समय पर संशोधनों के साथ लागू किया गया है। पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति वर्ष 2000 से लागू है, जिसे बाद में वर्ष 2004 तथा 2008 में संशोधित किया गया है। सीआईएल की संशोधित पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास नीति 2012 में भू–वंचितों के लिए कई विकल्पों की व्यवस्था है। यह तेजी से भूमि के अधिग्रहण के लिए अद्वितीय पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास की समस्याओं को पूरा करने के लिए सहायक कंपनियों के निदेशक बोर्ड को अधिक उदारता प्रदान करती है।

आर एंड आर नीति की कुछ प्रचालनात्मक विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- भू–वंचितों को संबंधित अधिनियम अथवा राज्य सरकार की अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार भूमि का मुआवजा दिया जाता है।
- प्रत्येक 2 एकड़ की जमीन के बदले भू–वंचितों को रोजगार दिया जाता है। सभी भू–वंचित जो रोजगार के पात्र नहीं हैं, वे रोजगार के बदले यथा अनुपात आधार पर प्रत्येक एक एकड़ भूमि के लिए 5 लाख रुपए का मौद्रिक मुआवजा प्राप्त करने के पात्र हैं।
- वैकल्पिक आवास स्थल के बदले 3 लाख रुपए की एक मुश्त राशि का भुगतान किया जाता है। वर्कशेड आदि के निर्माण के लिए भी मौद्रिक मुआवजा दिया जाता है।
- प्रत्येक प्रभावित परिवार को 1 वर्ष के लिए प्रत्येक माह 25 दिनों की न्यूनतम कृषि मजदूरी की दर से निर्वहन भत्ता दिया जाता है।

- कोयला कंपनियां परियोजना से प्रभावित लोगों को गैर–कृषि आधारित स्वरोजगार स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान करती हैं। ठेकेदारों को वरीयता के आधार पर पात्र लोगों को रोजगार देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
- जहां तक संभव हो, कोयला कंपनियां जनजातीय समुदाय को एक इकाई के रूप में स्थानांतरित करती हैं और जनजातीय समुदाय की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सुविधाएं प्रदान करती हैं। इस प्रकार उन्हें अपनी अनूठी पहचान को बनाए रखने में मदद करती हैं।
- प्रभावित जनजातीय परिवारों को पारंपरिक अधिकार अथवा वन उत्पादों का उपयोग खोने के एवज में 500 एमएडब्ल्यू दिनों की एक मुश्त वित्तीय सहायता दी जाती है।
- जिले से बाहर विस्थापित प्रभावित जनजातीय परिवारों को 25% अधिक पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास लाभ दिये जाने है। पुनर्स्थापन स्थल पर स्कूलए सड़क जिसमें रोशनी की व्यवस्था होए पक्की नालीए तालाबए पेय जल की आपूर्ति के लिए ट्यूबवेल, सामुदायिक केंद्र, पूजा स्थल, औषधालय, पशुओं के चरने के लिए चरागाह तथा खेल के मैदान की व्यवस्था की जाती है।
- पुनर्वास कालोनियां जिनमें परियोजना प्रभावित परिवार तथा मेजबान आबादी भी शामिल है, के सभी निवासियों के लिए सामुदायिक सुविधाएं उपलब्ध होती हैं।
- सामुदायिक सुविधाओं के प्रचालन के लिए उदार दृष्टिकोण अपनाया जाता है और इनमें राज्य तथा स्थानीय स्वशासन/पंचायत को शामिल करने के भरसक प्रयास किए जाते हैं। सामुदायिक सुविधाओं तथा उनके निर्माण की योजना प्रभावित समुदाय के परामर्श से की जाती है।

भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनःर्स्थापन (आरएफसीटीएलएआरआर) अधिनियम 2013, और अन्य प्रासंगिक मुद्दों को देखते हुए कोयला इंडिया लिमिटेड की आर एंड आर नीति को आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम 2013 के प्रावधानों को शामिल करने के लिए संशोधित किया जा रहा है। सीआईएल की संशोधित आर एंड आर नीति का मसौदा सीएमडी–डब्लूसीएल की अध्यक्षता में एक समिति द्वारा तैयार किया गया है और संशोधित नीति अनुमोदन की प्रक्रिया में है।

पर्यावरण की देखभाल

कोयला कंपनियां निरंतर पर्यावरण तथा सामाजिक मुद्दों पर इन खनन कार्यकलापों से होने वाले प्रभावों का निदान करती हैं। सभी खनन क्षेत्रों में पर्यावरण अनुकूल खनन प्रणालियों को कार्यान्वित किया गया है। पर्यावरणीय उपशमन उपायों को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए कोयला कंपनियों ने अत्याधुनिक सेटेलाइट निगरानी की व्यवस्था शुरू की है ताकि सभी ओपनकास्ट परियोजनाओं के लिए भूमि के पुनरुद्धार की निगरानी की जा सके। कोल इंडिया लिमिटेड ने सुनियोजित पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं तथा चिरस्थायी विकास कार्यकलापों के माध्यम से 38,374 हेक्टेयर क्षेत्र में वनरोपण किया है। 'स्वच्छ एवं हरित' कार्यक्रम के एक भाग के रूप में सीआईएल द्वारा जहां कहीं भी जमीन उपलब्ध है, बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जा रहा है। वर्ष 2017–18 में ही, सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों द्वारा खनन क्षेत्रों में 19,36,264 पौधे लगाये गये हैं। कोल इंडिया लिमिटेड ने 2017–18 तक 95.9 मिलियन वृक्षारोपण किया है।

एनएलसी इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल)

एनएलसी इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल) 14 नवम्बर, 1956 को एक कंपनी के रूप में पंजीकृत हुई और तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा 20 मई, 1957 को खान–I में खनन प्रचालनों का औपचारिक उद्घाटन किया गया था। एनएलसी इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल) को अप्रैल 2011 से 'नवरत्न' का दर्जा दिया गया है।

एनएलसी इंडिया लि. की वर्तमान खनन क्षमता 30.6 एमटीपीए है तथा दिसम्बर, 2017 की स्थिति के अनुसार विद्युत उत्पादन क्षमता 4431 मे.वा. है। एनएलसी इंडिया लि. की सभी खानों एवं विद्युत स्टेशनों को गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली, पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली एवं व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए आईएसओ प्रमाणीकरण प्राप्त है।

प्राधिकृत पूंजी

एन एल सी की प्राधिकृत पूंजी 2000 करोड़ रुपए है तथा प्रदत पूंजी 1528,57 करोड़ रु है। 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार भारत सरकार द्वारा किया गया है निवेश निम्नानुसार हैः

निवेश	(करोड़ रु. में)
इक्विटी – भारत सरकार का हिस्साः	1528.57
भारत सरकार से ऋण (प्राप्त ब्याज सहित)	शून्य

उत्पादन कार्य–निष्पादन (एनएलसी)

वर्ष 2017–18 के दौरान दिसम्बर, 2017 के अंत तक ओवरबर्डन रिमूवल, लिग्नाइट उत्पादन, सकल विद्युत उत्पादन और विद्युत निर्यात तथा जनवरी 2018 से मार्च 2018 तक की अवधि के लिए अनंतिम आंकड़े नीचे तालिका में दर्शाए गए हैं:

उत्पादन	यूनिट	ब.अ. 2017–18	2017–18 (दिसम्बर, 2017 तक)		जनवरी 2018 से मार्च 2018 (अनंतिम)
			लक्ष्य	वास्तविक	
ओवरबर्डन	एम एम³	157.40	116.29	134.27	41.11
लिग्नाइट	एम टी	26.80	17.35	16.43	9.45
विद्युत सकल	एम यू	22000.00	16020.51	15277.55	5979.49
विद्युत निर्यात	एम यू	18720.00	13625.51	12814.81	5094.49

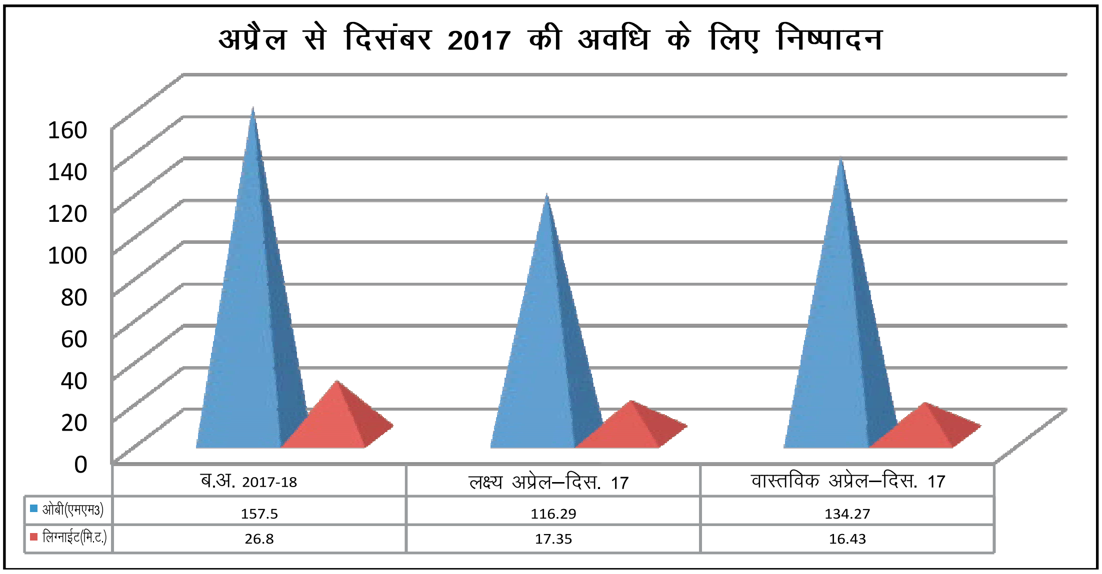

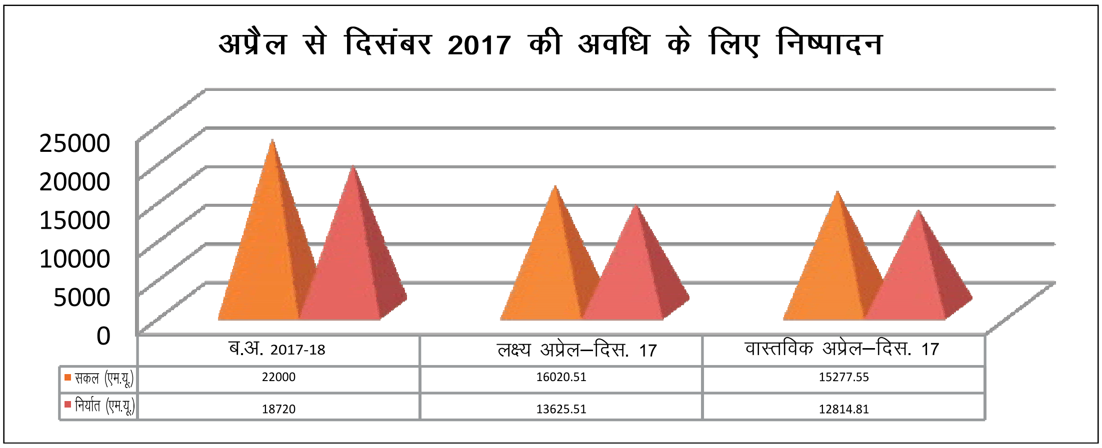

यदि छोड़ दी गई 1738.25 एमयू विद्युत को जोड़ा जाता है, तो अप्रैल 2017 से दिसंबर 2017 की अवधि के लिए सकल विद्युत उत्पादन 17015.80 एमयू होगा जो कि 106.21% (95.35% केवर्तमान स्तर की तुलना में) की उपलब्धि है।

उत्पादकता

2016–17 और 2017–18 (दिसंबर 2017 तक) में उत्पादकता निष्पादननीचे तालिका में दिया गया है:

ओएमएस द्वारा	यूनिट	2016–17 वास्तविक	2017–18 (दिसम्बर, 2017 तक)	
			लक्ष्य	वास्तविक
खानें	टन	13.67	10.42	11.42
तापीय	कि.वा घंटे	24341	22228	24209

संयंत्र लोड फैक्टर

2016–17 तथा 2017–18 (दिसम्बर, 2017 तक) के दौरान टीपीएस–I, टीपीएस–I विस्तार, टीपीएस–II और बरसिंगसर टीपीएस द्वारा प्राप्त पीएलएफ निम्नानुसार है:–

पीएलएफ की प्राप्ति	2016–17 वास्तविक	2017–18 (दिसम्बर, 2017 तक)	
		लक्ष्य	वास्तविक
टी.पी.एस–I	70.33	65.61	64.27
टी.पी.एस–Iई	90.71	83.84	85.82
टी.पी.एस–II	85.83	84.12	77.56
बरसिंगसर टीपीएस	31.35	50.03	45.15
टी.पी.एस–I	66.82	69.52	71.83

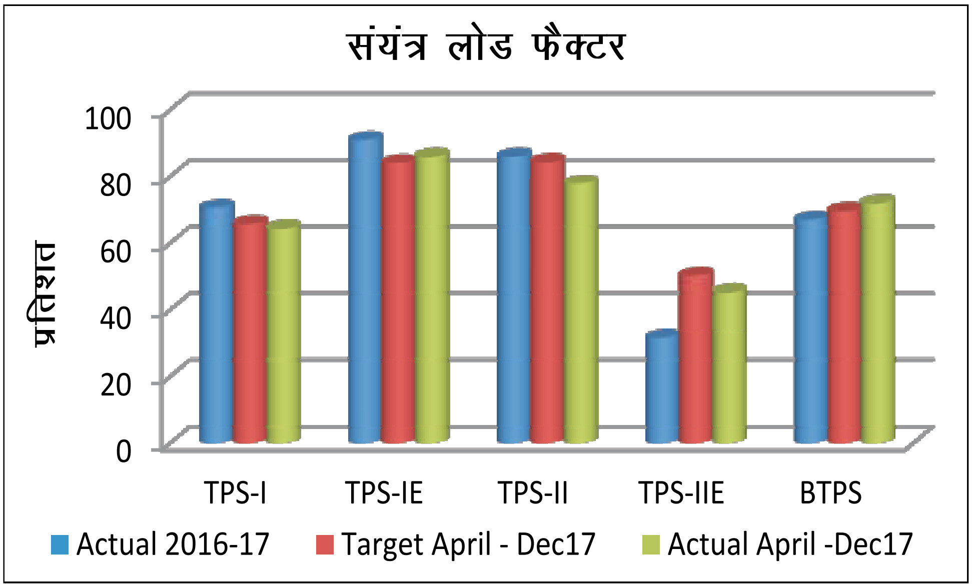

सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि.

सिंगरेनी कोलिरीज कंपनी लि. तेलंगाना सरकार और भारत सरकार का एक संयुक्त उद्यम है इक्विटी पूंजी भागीदारी क्रमशः 51:49 है। अखिल भारत कुल उत्पादन में एससीसीएल का योगदान 9.5% है।

कोयला उत्पादन

वर्ष 2017–18 में अप्रैल–दिसंबर, 17 की अवधि के दौरान सीआईएल द्वारा कोयला का उत्पादन 383.93 मि.टन था जबकि वार्षिक लक्ष्य 600 मि.टन था। एससीसीएल ने 2017–18 के दौरान 62 मि.ट. के वार्षिक लक्ष्य की तुलना में 41.99 मि.टन कोयला उत्पादन किया।

उत्पादकता (ओएमएस)

वर्ष 2017–18 के लिए उत्पादकता लक्ष्य 5.29 टन था एवं दिसम्बर, 2017 तक हासिल उत्पादकता 4.28 टन है।

सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि.		
लक्ष्य 2017–18	लक्ष्य 2017–18 (अप्रैल–दिसंबर 17)	वास्तविक 2017–18 (अप्रैल–दिसंबर 17)
5.29	5.13	4.28

पूर्वोत्तर कोलफील्ड्स में विकास कार्यकलाप

पूर्वोत्तर क्षेत्र में, कोल इंडिया लिमिटेड के मुख्य खनन कार्यकलाप असम के माकूम कोल फील्ड में है। वर्तमान में 4 खानें प्रचालन में हैं। ये तीरप, तिकाक, लेडो (ओसीपी) तथा तिपोंग हैं। इनमें से तीरप, तिकाक, लेडो ओपनकास्ट खानें/परियोजनाएं हैं जबकि तिपोंग भूमिगत खान है।

पूर्वोत्तर कोलफील्डों में ओपन कास्ट खानों में 5 (पांच) प्रमुख आउटसोर्सिंग पैचेज हैं। ये हैं तिराप (ईस्ट), तिराप (वेस्ट), तिकाक (ईस्ट), तिकाक (ओसीएम)एंव लीडो (ओसीपी) एनईसी की ओपनकास्ट खान से कोयले का उत्पादन आउटसोर्सड होता है। लेडो (ओसीपी) वित्त वर्ष 2008–09 में शुरू किया गया था। पिछले 4(चार) वर्षों के कोयला उत्पादन को निम्नलिखित तालिका–1 में दर्शाया गया है।

तालिका–I **(आंकड़े लाख टन में)**

वर्ष	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 अनंतिम
एनईसी का कोयला उत्पादन	6.63	7.79	4.86	6.002	7.00

वर्ष 2017–18 में 7.00 लाख टन उपलब्धि की आशा है। वर्ष 2017–18 के दौरान 5 (पांच) पैचों में से केवल 4 (चार) पैचों ने ही अप्रैल, 2017 से दिम्बर, 2017 माह के दौरान कोयले का उत्पादन किया है।

दिसंबर, 2017 के महीने के दौरान पूर्वोत्तर कोलफील्डों में केवल 4 (चार) पैचों में कोयले का उत्पादन किया गया था। ऐसा आउटसोर्सिंग संविदा को अंतिम रूप न देने के कारण था। अभी तक केवल 1 (एक) ओपन कास्ट पैच के लिए निविदा को अंतिम रूप देना बाकी है। निविदा पहले ही खुल गई है तथा निविदा समिति की सिफारिशों की जांच की जा रही है।

एनईसी का कार्य निष्पादन (01.04.2017 से 31.12.2017 तक)

तालिका–II **(वास्तविक डाटा)**

1	कोयला उत्पादन	इकाई	मात्रा
	I) भूमिगत	लाख टन	0.021
	II) ओपन कास्ट	"	3.52
	कुल	"	3.54
2	ओ.एम.एस		
	I) भूमिगत	टन	0.02
	II) ओपन कास्ट	"	3.10
	III) समग्र	"	1.70
3	कोयला प्रेषण/उठान		
	I) प्रेषण	लाख टन	4.96
	II) घरेलू खपत	--	--
	III) उठान	"	4.96
4	31.12.2016 की स्थिति के अनुसार पिट हेड कोयला भण्डारण	"	0.41
5	खानों की संख्या	कार्यरत	04

एनईसी का कार्य निष्पादन (01.01.2018 से 31.03.2018 की अवधि) – अनंतिम

तालिका–III **(वास्तविक डाटा)**

1	कोयला उत्पादन	इकाई	मात्रा
	I) भूमिगत	लाख टन	0.0085
	II) ओपन कास्ट	"	3.45
	कुल	"	3.46
2	ओ.एम.एस		
	I) भूमिगत	टन	0.03
	II) ओपन कास्ट	"	9.79
	III) समग्र	"	5.51
3	कोयला प्रेषण/उठान		
	I) प्रेषण	लाख टन	2.04

	II) घरेलू खपत	"	--
	III) उठान	"	2.04
4	**31.12.2018 की स्थिति के अनुसार पिट हेड कोयला भण्डारण**	"	1.82
5	**खानों की संख्या**	कार्यरत	04

एनईसी का कार्य निष्पादन (01.04.2017 से 31.03.2018 की अवधि) – अनंतिम

तालिका–IV **(वास्तविक ब्यौरा)**

1	कोयला उत्पादन	इकाई	मात्रा
	I) भूमिगत	लाख टन	0.0295
	II) ओपन कास्ट	"	6.97
	कुल	"	7.00
2	ओ.एम.एस		
	I) भूमिगत	टन	0.25
	II) ओपन कास्ट	"	4.58
	III) समग्र	"	2.58
3	ब्कोयला प्रेषण/उठान		
	I) प्रेषण	लाख टन	7.00
	II) घरेलू खपत	"	-
	III) उठान	"	7.00
4	31.03.2018 की स्थिति के अनुसार पिट हेड कोयला भण्डारण	"	1.82
5	**खानों की संख्या**	कार्यरत	04

पिछले पांच वर्षों के दौरान एनईसी का कार्य निष्पादन

यद्यपि विगत में कुछ वर्षों को छोड़कर एनईसी घाटे में रही है, किन्तु इसने समग्र लाभ अर्जित करना शुरू कर दिया है। तथापि, भूमिगत कोलियरिज वर्ष 2005–06 से अभी भी घाटे में हैं। पिछले पांच वर्षों के लिए लाभप्रदता तालिका V में दी गई है:–

तालिका–V **(लाख रु.में)**

खान	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
तिपोंग (यूजी)	(-)6011.03	(-)5279.12	(-)6698.94	(-)6473.28	(-)6841.20
लेडो (यूजी)	(-)1688.24	(-)1464.79	(-)1446.81	--	
बरगोलाई (यूजी)	(-)3493.09	(-)2934.05	(-)3033.63	(-)2819.03	
जयपोर (यूजी)	(-)110.73	(-)122.02	(-)100.68	(-)140.32	(-)112.26
तिरप (ओसी)	(+)6423.05	(+)10718.88	(+)10282.01	(-)131.73	(-)1556.79
तिकाक (ओसी)	(+)5947.83	(+)1.78	(+)5075.65	(+)1443.27	(-)3770.64
लेडो ओसीपी	(+)4831.36	(+)2306.24	(-)1160.10	(+)2149.18	(-)65.49
सर्विस यूनिट	(+)674.09	(+)31.20	--	--	
कुल एनईसी	(+)6573.23	(+)3258.12	(+)2917.51	(+)5971.91	(-)12356.38

एनईसी का उत्पादन कार्यक्रम

एनईसी में वर्तमान में कुल 4 (चार) कार्यशील खानें हैं। चार खानों में से तीन ओपन कास्ट खान तथा एक भूमिगत खान है। वित्त वर्ष 2017–18 के दौरान 7.80 लाख टन कोयले का उत्पादन होने की आशा है।